

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
// अधिसूचना //

रायपुर दिनांक 20/05/14

क्रमांक एफ 9-4/2009/16 :- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 की धारा 11, सहपठित उपकर नियम 1998 के नियम 14 के तहत राज्य शासन एतद्वारा श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) में पदस्थ उप श्रमायुक्त, श्रीमती सविता मिश्रा एवं श्री एस.एल. जांगड़े को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य हेतु निम्नानुसार क्षेत्रवार अपीलीय अधिकारी नियुक्त करता है और यह निर्देश देता है कि ये उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी जैसी भी स्थिति हो की शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्रों की सीमा से करेंगे" :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	क्षेत्र
1.	श्री एस.एल.जांगड़े, उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर	बिलासपुर संभाग एवं सरगुजा संभाग में आने वाले जिले .
2.	श्रीमती सविता मिश्रा, उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर	रायपुर, दुर्ग संभाग एवं बस्तर संभाग में आने वाले जिले.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नाम से
तथा आदेशानुसार

o/c

(जी.आर.मालवीय)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

रायपुर दिनांक 20/05/14

पृष्ठांकन क्र. एफ 9-4/2009/16

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ.ग.)
2. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)
5. श्री एस.एल.जांगड़े, उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)
6. श्रीमती सविता मिश्रा, उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)
7. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

o/c
2/3

o/c

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग